प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 10.07.2019

माननीय वित्त मंत्री, श्री तरूण **भनोत** ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

- कुल विनियोग राशि ₹ 233605.89 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय ₹ 214085.02 करोड़ का प्रावधान
- राजस्व आधिक्यः ₹ 732.63 करोड़
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.34 % अनुमानित

- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 179353.75 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 65273.74 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 63750.81 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 13968.27 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 36360.93 करोड़ शामिल
- वर्ष 2019-2020 में वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 23.69% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2019-2020 में राजस्व व्यय ₹ 178621.12 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 151022.46 करोड़ से 18.27 % अधिक अनुमानित
- वर्ष 2018-2019 में पूंजीगत परिव्यय ₹ 29256.78 करोड़ (पु.अ.) से बढ़कर वर्ष 2019-2020 में ₹ 35463.90 करोड़, 21.22% की वृद्धि अनुमानित
- पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.68% अनुमानित
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का प्रतिशत 0.08 %
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 8.04 %

मुख्य आकर्षण

- विनियोग की राशि में 20% वृद्धि
- पूंजीगत व्यय में 21% वृद्धि
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के बजट में 66% वृद्धि
- जय किसान ऋण माफ़ी योजना हेतु रु 8000 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा किसान ज्योति एवं कृषि पंप हेतु रु 7117 करोड़ का प्रावधान
- गेहूं पर रु 160 बोनस हेतु राशि रु 1600 करोड़ का प्रावधान
- कृषि क्षेत्र में रोजगार हेतु मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना प्रारंभ कर राशि रु 100 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु राशि रु 1000 करोड़ का प्रावधान
- पेंशन प्रदाय एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना हेतु सामाजिक न्याय विभाग का बजट 43% बढाकर रु 2891 करोड़ किया गया

- युवा स्वाभिमान योजना हेतु विभिन्न विभागों में रु 330 करोड़ का प्रावधान
- कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों को प्रदाय करने हेतु कानूनी प्रावधान पर कार्य किया जायेगा
- शासकीय भूमि के बेहतर प्रबंधन हेतु Land Management Authority गठन किये जाने का प्रस्ताव
- जल संरक्षण हेतु 36 जिलों की 40 नदियों पर नदी पुनर्जीवन अभियान
- पेयजल के अधिकार हेतु रु 1000 करोड़ का प्रावधान
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 32% वृद्धि
- स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी हेतु सुषेण संजीवनी योजना
- स्वास्थ्य का अधिकार
- भोपाल इंदौर एक्सप्रेस-वे पर सैटलाइट टाउन, औद्योगिक क्षेत्र एवं ड्राई पोर्ट की योजना
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु रु 33,467 करोड़
- अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण के लिए आष्ठान योजना
- अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के माध्यम से दिए गए 1 लाख तक के ऋण माफ़
- अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु रु 22,793 करोड़
- अनुसूचित जाति वित्त निगम के माध्यम से दिए गए 1 लाख तक के ऋण माफ़ किये जाएँगे
- सड़क निर्माण एवं सिंचाई योजनाओं के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था

विभागवार विस्तृत आंकड़े निम्नानुसार है:

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि बजट के लिये वर्ष 2019-20 में ₹ 46,559 करोड़ का प्रावधान।
- किसानों के ऋण माफ करने हेतु 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' में ₹ 8,000 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा किसान ज्योति योजना, कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन के अंतर्गत ₹ 7117 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹ 2,201 करोड़ का प्रावधान
- कृषक समृद्धि योजना तथा भावांतर/फ्लेट रेट योजना हेतु ₹ 2720 करोड़ का प्रावधान

उद्यानिकी

- उद्यानिकी विभाग अंतर्गत ₹ 1,116 करोड़ का प्रावधान।
- बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के विस्तार मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण की नवीन योजना प्रारंभ। इस हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।
- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

वानिकी

- वन विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 2,757 करोड़ का प्रावधान।
- मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन हेतु ₹ 250 करोड़ का प्रावधान।

सहकारिता

- सहकारिता विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 2,583 करोड़ का प्रावधान।
- सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹ 1,000 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु ₹ 700 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना हेतु ₹ 309 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं मछुआ कल्याण

- पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 1,204 करोड़ का प्रावधान।
- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय हेतु ₹230 करोड़ का प्रावधान
- गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु ₹132 करोड़ का प्रावधान
- मात्र एक रूपया देने की जगह 20 रूपये प्रतिदिन गौवंश समर्थन दिये जाने का निर्णय।
- प्रदेश में सॉर्टेड सेक्सड सीमन प्रयोगशाला की स्थापना।
- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 104 करोड़ का प्रावधान।
- किसानों के अनुरूप पशुपालकों एवं मछुआरों को रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिये क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 17,186 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹6600 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹2500 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹2500 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) हेतु ₹1400 करोड़ का प्रावधान
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु ₹1101 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹514 करोड़ का प्रावधान
- राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

नगरीय विकास एवं आवास

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 15,665 करोड़ का प्रावधान।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत हाउसिंग फॉर ऑल हेतु ₹ 4,200 करोड़ का प्रावधान
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान
- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु ₹488 करोड़ का प्रावधान
- स्मार्ट सिटी हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
- युवा स्वाभिमान योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान

सड़क एवं पुल

- लोक निर्माण विभाग के लिये ₹ 9,220 करोड़ का प्रावधान।
- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) हेतु ₹1400 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) हेतु ₹1017 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
- वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
- मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹229 करोड़ का प्रावधान

नर्मदा घाटी विकास

- नर्मदा घाटी विकास अंतर्गत ₹ 3,322 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग के अन्तर्गत नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान
- नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
- काली सिंध लिंक परियोजना हेतु ₹338 करोड़ का प्रावधान
- सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु ₹215 करोड़ का प्रावधान
- नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

सिंचाई सुविधा

- सिंचाई परियोजनाओं में पूंजीगत मद में ₹ 6,877 करोड़ का प्रावधान।
- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹2931 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 4,366 करोड़ का प्रावधान।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत पेयजल का अधिकार हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹574 करोड़ का प्रावधान
- खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु ₹535 करोड़ का प्रावधान
- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान

स्कूल शिक्षा

- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 24,499 करोड़ का प्रावधान।
- शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 2,342 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹1247 करोड़ का प्रावधान

तकनीकी शिक्षा

- तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 1,666 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु ₹360 करोड़ का प्रावधान
- युवा स्वाभिमान योजना हेतु ₹180 करोड़ का प्रावधान

आदिमजाति कल्याण

- आदिमजाति कल्याण विभाग के लिये ₹ 7,492 करोड़ का प्रावधान।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) हेतु ₹578 करोड़ का प्रावधान
- विशिष्ट आवासीय संस्थायें हेतु ₹ 550 करोड़ का प्रावधान
- सीनियर छात्रावास हेतु ₹ 320 करोड़ का प्रावधान
- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
- पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹154 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
- विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु ₹133 करोड़ का प्रावधान
- जूनियर छात्रावास हेतु ₹123 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण

- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के लिये ₹ 821 करोड़ का प्रावधान।
- पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹512 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति कल्याण

- अनुसूचित जाति विभाग अंतर्गत रु 1696 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्याल व अन्य) हेतु ₹325 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु ₹294 करोड़ का प्रावधान

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिये ₹ 45 करोड़ का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं हेतु ₹ 7,547 करोड़ का प्रावधान।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु ₹ 2735 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु ₹ 517 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 2,309 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹1091 करोड़ का प्रावधान

आयुष

- आयुष विभाग अंतर्गत ₹ 481 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत ₹ 5,292 करोड़ का प्रावधान।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1517 करोड़ का प्रावधान
- ऑगनबाड़ी सेवायें हेतु ₹1179 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹922 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹870 करोड़ का प्रावधान
- आई.सी.डी.एस. के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम. हेतु ₹186 करोड़ का प्रावधान
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) हेतु ₹176 करोड़ का प्रावधान

ऊर्जा

- ऊर्जा क्षेत्र अंतर्गत ₹ 9,888 करोड़ का प्रावधान।
- टैरिफ अनुदान हेतु ₹ 2,559 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत ₹ 2,116 करोड़ का प्रावधान।
- म.प्र.वि.मं. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,068 करोड़ का प्रावधान।
- सरल बिजली बिल योजना हेतु ₹ 300 करोड़ का प्रावधान
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अंतर्गत ₹ 271 करोड़ का प्रावधान।
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना हेतु ₹187 करोड़ का प्रावधान

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत ₹ 1,012 करोड़ का प्रावधान।
- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत मैग्निफिसेंट एम पी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु ₹ 555 करोड़ का प्रावधान
- औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के लिये ₹ 345 करोड़ का प्रावधान।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत ₹ 1,121 करोड़ का प्रावधान।

श्रम

- श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा) योजना हेतु ₹ 642 करोड़ का प्रावधान।

संस्कृति एवं पर्यटन

- संस्कृति विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 226 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन अधोसंरचना का विकास योजना के लिये ₹ 229 करोड़ का प्रावधान।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत ₹ 2,891 करोड़ का प्रावधान।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1130 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 750 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹ 386 करोड़ का प्रावधान

कानून व्यवस्था

- गृह विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 7,634 करोड़ का प्रावधान।
- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु ₹122 करोड़ का प्रावधान*

राजस्व

- राजस्व विभाग अंतर्गत ₹ 4,491 करोड़ का प्रावधान।
- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु ₹ 154 करोड़ का प्रावधान*
- भू-प्रबंधन हेतु ₹ 141 करोड़ का प्रावधान

विधि एवं विधायी कार्य

- विभाग अन्तर्गत ₹ 2,210 करोड़ का प्रावधान।

राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2020-21	2021-22	2022-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	0.65	0.02	0.08	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	3.17	3.40	3.34	2.80	2.80	2.77
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	24.38	24.07	24.43	24.62	24.78	24.90
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	21.60	21.48	21.88	22.34	22.75	23.08

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.